

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर 492002

-: आदेश :-

रायपुर दिनांक 04-11-2025

क्र/Comp. No.: 124094/IGKV-1/38/2025-Ag.Sec.(T):: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 01.01.2016 के पूर्व एवं इसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन/परिवार पेंशन भोगियों को 7वे वेतन मान के अनुसार पुनरिक्षित वेतन देने संबंधी प्रस्ताव के अनुक्रम में छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श अनुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पेंशन फंड की जांच करने हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार "परीक्षण दल" का गठन करता है:-

1. वित्त विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त संचालक स्तर)
2. छ.ग. राज्य संपरीक्षा के प्रतिनिधि (संयुक्त संचालक स्तर)
3. संयुक्त संचालक (वित्त), संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर।
4. संचालक अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।

परीक्षण दल द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेंशन फण्ड की जाँच कर प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित 1 माह के भीतर विभाग को उपलब्ध करवाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र./Comp. No.: 124094/IGKV-1/38/2025-Ag.Sec.(T) रायपुर दिनांक 04-11-2025
प्रतिलिपि:-

1. मान. मंत्रीजी के विशेष सहायक, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, छ.ग. शासन।
2. निज सहायक, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन।

3. निज सहायक, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि परीक्षण दल हेतु प्रतिनिधि नामांकित करने का कष्ट करे।
4. संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि परीक्षण दल हेतु प्रतिनिधि नामांकित करने का कष्ट करे।
5. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर।
6. कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
7. लेखानियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
8. संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
9. संयुक्त संचालक (वित्त), संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग